



**North Carolina Department
Of Commerce Division
of Employment Security
Unemployment Insurance**

माह/दिन/वर्ष

Employer Name

Address line 1

Address line 2

City, ST 12345-0000

खाता संख्या #####

Adequacy Penalty Determination

यह अवधारण यह अधिसूचित करने के लिए है कि आपको इन आरोपों से मुक्त नहीं किया जाएगा कि नीचे सूचीबद्ध व्यक्तियों को गलत भुगतान किया गया :

GS 96-11.4, के अंतर्गत एक नियोक्ता के खार्ते को संभवतः गलती से किए गए भुगतानों के आरोपों से मुक्त नहीं किया जा सकता, यदि विभाग यह निर्धारित करता है कि निम्न दोनों लागू होते हैं :

1. गलत राशि का भुगतान इसलिए किया गया था क्योंकि नियोक्ता अथवा नियोक्ता के ऐजेंट विभाग द्वारा बेरोजगारी हर्जाने के क्लेम से संबंधित की गई लिखित अपील का समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर देने में असफल रहे। यहां पर केवल गलत राशि भुगतान ही नहीं किया गया अपितु विभाग द्वारा उस क्लेम से संबंधित जानकारी के लिए गई अपील का नियोक्ता या नियोक्ता के ऐजेंट द्वारा समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर न देना भी दूसरी स्थिति है।
2. नियोक्ता या ऐजेंट का विभाग द्वारा बेरोजगारी के हर्जाने के क्लेम से संबंधित जानकारी के लिए की गई अपील का समय पर व ठीक प्रकार, उत्तर देने में असफल रहने का चलन स्थापित किया गया। विभाग द्वारा यह निर्धारित करने कि कहीं नियोक्ता या

ऐजेंट द्वारा समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर न देने का चलन तो स्थापित नहीं किया गया, विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से दस्तावेजों के रूप में मौजूद नियोक्ता या ऐजेंट को कुल संख्या में की गई अपीलों का उनके द्वारा समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर देने में असफल रहने के कुल उदाहरणों की संख्या पर विचार किया जाएगा। एक नियोक्ता या ऐजेंट के लिए समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर देने में असफल रहने के चलन को स्थापित करना तब नहीं माना जाएगा यदि पिछले वर्ष के दौरान की गई अपीलों का ठीक प्रकार से व समय पर उत्तर न देने की संख्या 2 से कम या 2 प्रतिशत (2%) से कम, जो भी उस नियोक्ता या ऐजेंट को की गई कुल अपीलों की संख्या से अधिक हो।

गलत भुगतानों का विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है :

दावेदार का नाम	एसएनएस	बीवाईवी	अतिरिक्त भुगतान की राशि	अपील निर्णय की तिथि
John Doe	xxx xx xxxx	माह/दिन/वर्ष	\$#####.##	माह/दिन/वर्ष
Jane Smith	xxx xx xxxx	माह/दिन/वर्ष	\$#####.##	माह/दिन/वर्ष

नियोक्ता इस अवधारण का विरोध, निर्धारण किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कर सकता है। यह अति आवश्यक है कि विरोध लिखित तौर पर किया गया हो व उसमें निम्न जानकारियां सम्मिलित हो :

1. नियुक्ति करने वाली ईकाई का नाम
2. नियुक्ति करने वाली ईकाई का पता
3. नियुक्ति करने वाली ईकाई की DES खाता संख्या
4. संबंधित प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण व विरोध करने का कारण
5. विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम, पता व शीर्षक
6. उपयुक्तता दंड निर्धारण की एक प्रति

विरोध को डाक द्वारा या फैंक्स से भेजे :

डाक : Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903
फैंक्स नंबर : 919.715.7642

जानकारी के लिए की गई अपील का

समय पर व ठीक प्रकार से उत्तर देकर

यू आई संबंधित धोखाधड़ी को रोकने में हमारी सहायता करें।